न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 243/19 वाद — GCMS N0 : 2019/00077
पूर्व प्रकरण संख्या : 48/14

1. श्री मानाराम पिता रूपाजी डांगी, उम्र बालिग, नि.–कोट, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्रीमती नंगी पुत्री रूपाजी डांगी, उम्र बालिग, नि.–कोट, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्रीमती संजु पुत्री रूपाजी डांगी, उम्र बालिग, नि.–कोट, तह, गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्रीमती कंकू पुत्री रूपाजी डांगी, उम्र बालिग, निवासी–कोट, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्री रूपा पिता उदा जी डांगी के बजाय :–
   1/1. श्रीमती खेमी पत्नी स्व. रूपा जी डांगी, उम्र बालिग, निवासी कोट, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री देवा पिता दोला डांगी, उम्र बालिग
3. श्री खेमा पिता दोला डांगी, उम्र बालिग
4. श्री धुला पिता दोला डांगी, उम्र बालिग
5. श्री पेमा पिता दोला सांगी, उम्र बालिग,
   सर्वनिवासीयान कोट, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.......प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री भीमराज पटेल अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक : 24.05.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने [illegible] वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह [illegible] किया है कि राजस्व मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.03 15:47:14 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम कोट, पटवार हल्का कोट, तहसील गिर्वा में आराजी संख्या 685 रकबा 0.0300 हेक्टेयर 695 रकबा 0.5600 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5900 भूमि स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी होकर वादी के दादा उदाजी तथा उनके भाई धूला पिता दल्ला जी की खातेदारी की होकर उसमें उदा एवं धूला का 1/4 हिस्सा निहित था। धूला लाऔलाद फोत होने से धूला एवं उदा भी फोत होने से विरासत से उक्त आराजीयात वादी के पिता रूपा जी के नाम पर दर्ज हो गई। जबकि उक्त आराजीयात मौरूसी होकर वादीगण एवं प्रतिवाद संख्या 1 रूपा का बराबर बराबर हिस्सा है यानि वादीगण प्रत्येक का 1/20वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/ 20वां हिस्सा ही है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के बिना जानकारी में लाये विरासत से अकेले अपने नाम पर दर्ज करवा दी जबकि वादीगण भी 1/4 हिस्से में बराबर के हकदार हैं तथा मौके पर भी काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण के खातेदारी की अन्य आराजीयात जो वादग्रस्त आराजीयात के पास में ही आगे स्थित है जिसमें जाने के लिए आराजी संख्या 695 में से होकर जाना पडता है तथा गांव के मेन रास्ते से खेतों में जाने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 5 के मकान के पास से होकर बैलगाडी आदि लेकर जाते रहे हैं तथा उक्त रास्ता बिलानाम होकर सरकारी है जहां पर प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 5 ने रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है जिससे वादीगण अपनी अन्य खातेदारी जमीन पर भी बैलगाडी आदि नहीं ले जा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उक्त अवरोध को हटाये जाने व वादीगण के बैलगाडी आदि ले जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा न ही आराजी संख्या 685 में काश्त करने में बाधा उत्पन्न करें। इस हेतु प्रतिवादीगण को शाश्वत् निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है। यह कि वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत दर्ज हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजीयात का 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 5 को बिकाव कर दिया, जो कि गलत है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजीयात में 1/20वां हिस्सा ही है तथा इतना हिस्सा ही बेचने का अधिकारी है। लेकिन इसका फायदा उठाते हुए वादीगण के हक एवं अधिकार के हिस्से को भी बिकाव कर दिया जो वादीगण के मुकाबले उक्त बिकावनामा नल एण्ड वोइड है। यह कि वादकारण प्रथम बार दिनांक 04–09–2013 को राजस्व रेकर्ड की नकल लेने पर ज्ञात हुआ तथा प्रतिवादीगण को अपने हिस्से की भूमि 30–12–2013 को खाते कराने हेतु कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया तब उत्पन्न हुआ जो लगातार जारी है। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण प्रत्येक को 1/20–1/20 अर्थात् 4/20 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 5 संयुक्त रूप से 1/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 को शाश्वत निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 20.08.2019 को प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.03 15:47:14 IST
Reason: SelfAttested

जवाब पेश पेश नहीं करने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर प्रकरण सीधे साक्ष्यवादी हेतु नियत किया गया।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य में PW1 **मानाराम पिता रूपाा का** का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज प्रदर्श कराए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 ग्राम कोट आराजी संख्या 685, 695 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, जमाबन्दी नकल 2061 से 2064 की ग्राम कोट की प्रमाणित नकल प्रदर्श–2 है। इसके साथ नामान्तरण संख्या 53 जिसमे पंजीकृत बिकाव से उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई। वादी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद ग्वाह पेश नहीं करने से वादी का साक्ष्य असवर बंद किया जाकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता पिछली कई पेशियों से अनुपस्थित रहे है, जिससे साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया जाकर प्रकरण मे बहस हेतु नियत किया गया।

वादी विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी भूमि होकर वादी के दादा उदाजी तथा उनके भाई धूला पिता दल्ला जी की खातेदारी की होकर उसमें उदा एवं धूला का 1/4 हिस्सा निहित था। धूला लाऔलाद तथा उदा भी फोत होने से विरासत से वादग्रस्त आराजीयात वादी के पिता रूपा जी के नाम पर दर्ज हो गई। जबकि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी होने से वादीगण एवं प्रतिवाद संख्या 1 रूपा का बराबर बराबर हिस्सा है। वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के बिना जानकारी में लाये विरासत से अकेले अपने नाम पर दर्ज करवा दी जबकि वादीगण भी 1/4 हिस्से में बराबर के हकदार है एवम् मौके पर भी काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मात्र राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजीयात का 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 5 को बिकाव कर दिया, जो विधि के अनुरूप नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजीयात में 1/20वां हिस्सा ही है तथा इतना हिस्सा ही बेचने का अधिकारी है। लेकिन वादीगण के हक एवं अधिकार के हिस्से को भी बिकाव कर दिया जो वादीगण के मुकाबले उक्त बिकावनामा नल एण्ड वोइड है। अतः निवेदन है कि वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात में प्रत्येक को 1/20, 1/20 अर्थात् 4/20 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 5 संयुक्त रूप से 1/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 को शाश्वत निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वादी विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निम्न दृष्टांत पेश किए गए :–

1. RBJ- 2023 Page No 106
2. RRT-2011 (3) Page No 819
3. RRT- 2015 (1) Page No 414

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.03 15:47:14 IST
Reason: SelfAttested

वादी विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रस्तुत दृष्टांत का अवलोकन किया गया। प्रकरण में भी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के जवाब अवसर बन्द होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने के लिए लिए प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब दावे को भी देखा जाना न्यायोचित है इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दावे, जवाब दावे, साक्ष्य एवं दस्तावेजों अवलोकन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात उदा पिता दल्ला व धुला पिता दल्ला के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी में 1/4 हिस्सेनुसार दर्ज चली आ रही थी। खातेदार उदा फोत होने के पश्चात् ही खातेदार धुला भी ला–औलाद फोत हो गया। वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण व रूपा द्वारा उदा व धुला के वारिसान होने के नाते संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे थे। वादीगण उदा व धुला के समय से उक्त आराजीयात पर काश्त एवं उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके छोटे होने से वादग्रस्त आराजीयात का विरासत से रूपा पिता उदा अकेले के नाम पर दर्ज कर दी गई, जबकि उक्त वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी होने से वादीगण का समान रूप से हक व अधिकार निहित है व आज भी उक्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। आराजी संख्या 685 में से ही होकर वादीगण के अन्य खातेदारी आराजीयात में आते–जाते हैं। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे तो मुझ जवाबकर्ता को कोई आपति नहीं है।

दावो में अंकित तथ्यो एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद के वादोत्तर एवं साक्ष्यों, दस्तावेजों के अवलोकन के अवलोकन से न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त वाद में वादीगण के पिता श्री रूपा पिता उदा डांगी निवासी– कोट, तहसील–गिर्वा, ने आराजी नम्बर 685 रकबा 0.0300 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 695 रकबा 0.5600 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.5900 हैक्टयर भूमि का अन्य सहखातेदार श्रीमती कमलु बाई पिता डूंगर जी डांगी, श्रीमती कालुबाई पिता डूंगर जी डांगी ने मिलकर देवा पिता दौला डांगी, खेमा पिता दौला डांगी, धुला पिता दौला डांगी, पेमा पिता दौला डांगी को दिनांक 09.08.2010 को को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर बेचान किया। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त बेचाननामा का नामान्तरण से यह भूमि क्रेतागण के नाम दर्ज हुई। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कराया गया है। वादीगण द्वारा अपने दावे में उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई खातेदारी भूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, उसका इस वाद में कहीं उल्लेख नहीं किया है। वादीगण द्वारा अपने वाद में यह सिद्ध नहीं कर पाये कि वादीगण के पिता रूपा पिता उदा डांगी द्वारा दिनांक 09.08.2010 को किया गया पंजीकृत विक्रय विलेख विधि विरूद्ध है। वादीगण के पिता ने अपनी ही जीवन काल में उक्त भूमि का बेचान किया जिसका वादीगण 1/20, 1/20 हिस्से की खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। विद्वान न्यायालय का अभिमत है कि क्रेतागण/प्रतिवादीगण जो आदी के पीता ने ही है, ने उक्त भूमि को पंजीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.03 15:47:14 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय पत्र से क्रय किया है। अतः वादीगण को नाम पुनः उक्त भूमि को उनके हक हिस्से में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वादीगण द्वारा अपना वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को ठोस आधारों पर साबित नहीं कराने से खारिज किया जाता है।
निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा– उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.03 15:47:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 243/19 सन 2019 अनवान (1) श्री मानाराम पिता रूपाजी डांगी, उम्र बालिग, नि.–कोट, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (2) श्रीमती नंगी पुत्री रूपाजी डांगी, उम्र बालिग, नि.–कोट, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (3) श्रीमती संजु पुत्री रूपाजी डांगी, उम्र बालिग, नि.–कोट, तह, गिर्वा, जिला उदयपुर (4) श्रीमती कंकू पुत्री रूपाजी डांगी, उम्र बालिग, निवासी–कोट, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम (1) श्री रूपा पिता उदा जी डांगी के बजाय :– (1/1) श्रीमती खेमी पत्नी स्व. रूपा जी डांगी, उम्र बालिग, निवासी कोट, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (2) श्री देवा पिता दोला डांगी, उम्र बालिग (3) श्री खेमा पिता दोला डांगी, उम्र बालिग (4) श्री धुला पिता दोला डांगी, उम्र बालिग (5) श्री पेमा पिता दोला सांगी, उम्र बालिग, सर्वनिवासीयान कोट, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री भीमराज पटेल अधिवक्ता की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वादीगण द्वारा अपना वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को ठोस आधारों पर साबित नहीं कराने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा ....को दी जाए।

यह आज तारीख .....24.....माह ...5.....सन् .....2024..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....

पद .....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग					

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.03 15:47:14 IST
Reason: SelfAttested